न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी सिह, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32 / 2024 (अपील)

उनवान

1 . जगन्नाथ पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री मोहम्मद यूनुस (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. पेरोकार सरकार (राजकीय पेरोकार , रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 23.07.2024 मि0नं0 38 / 2024
न्यायालय नायब तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा

निर्णय दिनांक :18.09.2024

.1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

.2 अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुऐ।

3. . विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4.. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम चौमा मालियान की आराजी ख0न0 701 / 465 रकबा 0.08 है0 मे से 0.2 है0 किस्म खलियान पर अतिक्रमी मानकार बेदखल करने का तथा 27 / – रूपये तावान वसूल करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अपनी जवाब देही करने का साक्ष्य पेश करने का तथा पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। विवादित आराजी खलियान की भूमि है जिस पर अपीलाण्ट के पूर्वजो के जमाने से खलियान पडते आ रहे थे तथा उक्त आराजी का ग्राम पंचायत क्षेत्र आने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आराजी का पट्टा अपीलाण्ट के नाम दिनांक 11.03.1987 को पट्टा संख्या 18 जारी किया गया है। जिसमे पूर्ण सीमाये दर्ज है। अपीलाण्ट उक्त भूमि पर बहैसियत पट्टेदार मालिक काबिज चला आ रहा है और आज भी उसका कब्जा है इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने पर भी नहीं मानकार अपीलाण्ट को उसकी पट्टे शुदा आराजी से बेदखल करने का आदेश देने में त्रुटि की

अति० जिला कलेक्टर
कोटा

है। उक्त आराजी आबादी क्षेत्र में है तथा ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र में आ गई है तहसीलदार अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है यदि अपीलाण्ट को उक्त पट्टे शुदा आराजी से बेदखल कर दिया तो अपीलाण्ट की भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का कच्चा मकान बना हुआ है बड का पेड करंजा का पेड व अन्य पोधे लगे हुये है। तथा तार बाउन्डरीवाल हो रही है जिस पर अपीलाण्ट ने काफी रकम खर्च की है।। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे। तथा अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक किस्म खलियान भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. वकील अपीलाण्ट का बहस में कथन रहा है कि उक्त आराजी का ग्राम पंचायत क्षेत्र आने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आराजी का पट्टा अपीलाण्ट के नाम दिनांक 11.03.1987 को पट्टा संख्या 18 जारी किया गया है। जिसमे पूर्ण सीमाये दर्ज है। अपीलाण्ट उक्त भूमि पर बहैसियत पट्टेदार मालिक काबिज चला आ रहा है और आज भी उसका कब्जा है इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने पर भी नहीं मानकार अपीलाण्ट को उसकी पट्टे शुदा आराजी से बेदखल करने का आदेश देने में त्रुटि की है। उक्त आराजी आबादी क्षेत्र में है तथा ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र में आ गई है। इसके विपरीत राजकीय पेरोकार सरकार का कथन रहा है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक किस्म खलियान भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।

7 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अपीलाण्ट को ग्राम पंचायत चौमा मालियान द्वारा दिनांक 11.03.1987 को पट्टा संख्या 18 जारी किया गया था। जिसमें ख0न0 का उल्लेख नहीं किया है। जिससे यह प्रतीत नहीं होता है कि पट्टा किस भूमि के ख0न0 पर जारी किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी द्वारा अपीलाण्ट अप्रार्थी के विरूद्ध वाके ग्राम **चौमा मालियान** की राजकीय सिवायचक **खलियान की भूमि** खसरा नम्बर **701/465 कुल** रकबा **0.08 हैक्टयर मे से 0.02 है0 भूमि** पर अतिक्रमण करने की प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु विधिवत अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया है। जिस पर प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था। अपीलाण्ट को अपना पक्ष पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु उसने ऐसा कोई जवाब साक्ष्य या सबूत भी पेश नहीं किया जिससे उसका अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित हो सके। अधीनस्थ न्यायालय के अनुसार अपीलाण्ट अप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलाण्ट अप्रार्थी का सरकारी **भूमि खलियान पर** अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर निर्णय अपील में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा